

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Haryana

CUH/E&GA/2023/3826 (D)

Date: 04/09/2023

अधिसूचना/NOTIFICATION

सभी से अनुरोध है कि जहां तक संभव हो सभी प्रकार की खरीद/सेवाएं सामान्य वित्तीय नियम-2017 के अनुसार जेम (GeM) के माध्यम से करें एवं जो मद जेम पर उपलब्ध नहीं है उन मदों की खरीद की अग्रिम कार्यवाही जेम से जारी होने वाले अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात ही करें।

इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जेम के माध्यम से खरीद के लिए अधिसूचना संख्या CUH/E&GA/2022/1591 दिनांक 03-02-2022 में गठित केन्द्रीय खरीद समिति की सिफारिशें लागू नहीं हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

सहायक कुलसचिव,

संपदा एवं सामान्य प्रशासन अनुभाग

उक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:

1. निजी सचिव, कुलपति सचिवालय (माननीय कुलपति के सूचनार्थ)।
2. निजी सहायक, सम-कुलपति सचिवालय (समकुलपति के सूचनार्थ)।
3. निजी सहायक, कुलसचिव कार्यालय (कुलसचिव के सूचनार्थ)।
4. वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
5. शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक विभागों/अनुभागों/कार्यालयों के विभागाध्यक्ष /शाखा प्रमुखों/प्रभारियों।

सहायक कुलसचिव,

संपदा एवं सामान्य प्रशासन अनुभाग